

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 746वीं बैठक दिनांक 01/05/2024 को डॉ. जय प्रकाश शुक्ला की को-चेयरमैनशिप आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

- 1. Case No. P-2/92/2024 Shri ASHISH BAGRI, Partner, S/o Sushil Kumar, Gram Jakhi Post Sitpura Amdari, Satna, Madhya Pradesh- 485446. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.618 ha. (Stone-4500 cum per annum, M-Sand-5250 cum per annum) & Bolder & 5250 cum per annum) (Khasra No. 19/2/5, 19/2/6) Village Jhali, Tehsil Majhgawan District Satna (MP). B-2 case**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 01/5/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri ASHISH BAGRI, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri ASHISH BAGRI, Partner, S/o Sushil Kumar, Gram Jakhi Post Sitpura Amdari, Satna, Madhya Pradesh- 485446.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	19/2/5, 19/2/6 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू-स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	1.618 hectare.
स्थल	Village Jhali, Tehsil Majhgawan District Satna (MP).	

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1961 दिनांक 06/10/23 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-4500 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड-5250 घनमीटर/वर्ष एवं बोल्डर-5250 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-4500 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड-5250 घनमीटर/वर्ष एवं बोल्डर-5250 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र पृ. क्रमांक 2157 दिनांक 01/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र पृ. क्रमांक 2157 दिनांक 01/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र पृ. क्रमांक 2157 दिनांक 01/11/23 अनुसार 300 मीटर पर नदी स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कौहारी जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/08/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing - No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा- आबादी 196 मी.
	दक्षिण पश्चिम दिशा दिशा- नाला 55 मी.
	पूर्व दिशा- कच्चा रोड लगभग 190 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 2158 दिनांक 01/11/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा नवीन डीएसआर में शामिल किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

	को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-4500 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड-5250 घनमीटर/वर्ष एवं बोल्टर-5250 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.11 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.73 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रु. में
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय झाली के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	100000
LED लाइट का वितरण ग्राम झाली में किया जायेगा	25000
Total	1,25,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1940 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत	सागौन, अर्जुन एवं बांश	450
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण (पौधों की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर) खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य	नीम, शीशम (सिस्सू) एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय वृक्ष ट्री-गार्ड के साथ	100

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

	मार्ग में वृक्षारोपण (पौधों की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)		
3	झाली के शासकीय स्कूल, पंचायत, आगनवाडी एवं ग्राम वासियों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, नीम, कदम, पीपल, शोसम एवं अशोक	1340
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. Case No. P-2/94/2024 Smt. INDRANI SINGRAM, R/o-Village- Kirgi, Thana Rajendra gram, Tehsil- Pushprajgarh, District-Anuppur, M.P. 484881, Prior Environment Clearance for Stone Quarry with a production capacity of Gitti-25,000 Cu.mt./Year, having a lease area of 3.239 hectares, at Khasra No. - 304/1/Ka & 304/1/Ka/2, Village - Bandhamar, Tehsil- Pushpraj, District- Anupur (M.P.). TOR.

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक INDRANI SINGRAM ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	INDRANI SINGRAM, R/o-Village- Kirgi, Thana Rajendra gram, Tehsil-Pushprajgarh, District-Anuppur, (M.P .) -484881, Prior Environment Clearance for Bandhamar Stone (Gitti) Quarry, Lease in an area of 3.239 ha. (25,000 cum per year) (Khasra No. - 304/1/Ka & 304/1/Ka/2), Village - Bandhamar, Tehsil- Pushpraj, District- Anupur (M.P.). ToR. SIA/MP/MIN/457877/2024.	
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.- 304/1/Ka & 304/1/Ka/2,	एरिया- 3.239 ha., निजी भूमि
परियोजना स्थल	Village - Bandhamar, Tehsil- Pushpraj, District- Anupur (M.P.).	

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

सैधातिक सहमति	डी.जी.एम. भोपाल द्वारा जारी पत्र क्र०. 9870 दिनांक 18/09/2000 .
परियोजना की श्रेणी	बी-1,
टॉर स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा टॉर प्रस्तावित किया है।
Description of Project	It is a Stone Quarry with a production capacity of Gitti-25,000 Cu.mt./Year, having a lease area of 3.239 hectares, at Khasra No. 304/1/Ka & 304/1/Ka/2, Village - Bandhamar, Tehsil- Pushpraj, District- Anupur (M.P.).
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Muffle Blasting (As per Parivesh Portal up-loaded information).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।
उत्पादन क्षमता	स्टोन – 25,000 cum per year.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 28 दिनांक 04/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 9.957 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 28 दिनांक 04/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 28 दिनांक 04/01/2024 अनुसार आबादी एवं अन्य संस्थान 100 मीटर से अधिक दूरी पर है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – हवेली, जिला- अनूपपुर का ठहराव प्रस्ताव क्र०. निरंक दिनांक 26/01/2019 पर दर्ज है।
जल/वायु सम्मति संबंधी जानकारी	CTE will be applied after getting Environmental Clearance as it is a fresh Quarry Lease.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 40 के सरल क्रमांक – 10 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 01 मई 2024

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. खदान के समीप में यदि कृषि कार्य हो रहा हो तो अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पडेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पडेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. एम सेंड प्लान्ट एवं कशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शाते हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
11. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
12. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
13. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
14. क्षतिपूर्ति के संबंध में म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन एवं म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

3. Case No. P-2/549/24 Shri Vikash Bansal, S/O Subhash Bansal, B4/13, IInd Floor, Mainwali Nagar, Rohtak Road, Paschim Vihar, Sunder Vihar S.O. West Delhi, Delhi- 110087, Prior Environment Clearance for Basauda Stone Quarry Lease in an area of 2.50 ha. (28,158 cum per year) (Khasra No. - 86/2), Village- Basauda, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.) [DEIAA].

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर/ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री विकास बंसल ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्णचंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Vikash Bansal,S/O Subhash Bansal, B4/13,II nd Floor, Mainwali Nagar, Rohtak Road, Paschim Vihar, Sunder Vihar S.O. West Delhi, Delhi- 110087, Prior Environment Clearance for BasaudaStone QuarryLeasein an area of 2.50 ha. (28,158cum per year) (Khasra No. - 86/2), Village- Basauda, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.) [DEIAA].SIA/MP/MIN/459450/2023.
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरानं.-86/2, एरिया-2.50ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village- Basauda, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.)
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 368दिनांक05 / 02 / 2018.
परियोजना की श्रेणी	बी-1,
टॉर स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा टॉर प्रस्तावित किया है।
Description of Project	It is a stone quarry with a production capacity of 28,158 cubic meter per year having a lease area of 2.50 hectares, previously EC was issued by DEIAA Singrauli at Khasra No. 86/2, Village- Basauda, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.). Now we are applying for fresh EC in SEIAA as per SEIAA policy decision taken in SEIAA agenda 766th Dated 11/01/2023.
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	<ul style="list-style-type: none"> Controlled blasting will be done by professionals. (As per Parivesh Portal up-loaded information).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	कार्यालय, डिया सिंगरौली के पत्र क्र0. 25 दिनांक 05 / 04 / 2018 द्वारा स्टोन- 28,210cum per year हेतु ई.सी. जारी की गई थी।
उत्पादन क्षमता	स्टोन- 28,158cum per year.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3647 दिनांक 17 / 10 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नहीं है, जिनको

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

	मिलाकर कुल रकबा 6.12 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3647 दिनांक 17/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3647 दिनांक 17/10/2023 अनुसार आबादी एवं अन्य संस्थान 100 मीटर से अधिक दूरी पर है।
ग्रामसभा / ग्रामपंचायत / नगरपरिषद्	ग्रामपंचायत-जोगियानी, जिला-सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र०. निरंक दिनांक 02/10/2017 पर दर्ज है।
जल/वायु सम्मति संबंधी जानकारी	Validity of consent (Valid up to)- 07/06/2022.
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed – No Tree only shrubs are existed
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक नाला लीज क्षेत्र से लगा हुआ है। पीपी द्वारा 50 मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया गया है। उत्तर पूर्व दिशा में ब्रिज लगभग 186 मी.
	पूर्व दिशा-पक्का रोड लगभग 430 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-43 के सरल क्रमांक-91 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होते अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबैक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बड़े पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे।

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

41. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख-रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
42. डी-वाटरिंग प्लान प्रस्तुत करें तथा पुराना माईनिंग प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

4. Case No. P-2/527/24 Shri RAJESH SHUKLA, Owner, M/s Aditya Traders, C/o Ro-833, Krishnartri Bhawan, 1st Floor, Dubey Colony, Katni. Prior Environment Clearance for Quartzite in an area of 4.990 ha. (Quartzite – 99,612 m³/Year) (Khasra No. 517 and 519) Vill. Sukarass, Teshil – Khategamv, Distt. Dewas (M.P.) TOR.

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 01/5/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri RAJESH SHUKLA ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Creative Enviro Services, Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri RAJESH SHUKLA, Owner, M/s Aditya Traders, C/o Ro-833, Krishnartri Bhawan, 1st Floor, Dubey Colony, Katni
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	517 and 519 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 4.990 hectare. शासकीय चारागाह भूमि
स्थल	Vill. Sukarass, Teshil – Khategamv, Distt. Dewas
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 10742 दिनांक 05/8/22 के द्वारा स्वीकृत।

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Quartzite – 99,612 m ³ /Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Quartzite – 99,612 m ³ /Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1468 दिनांक 19/7/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 36.02 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1468 दिनांक 19/7/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1468 दिनांक 19/7/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत समरथ जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 09 दिनांक 24/6/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा में 500 मीटर पर हैबीटेशन है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी की है अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित डीएसआर रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें इस खदान का नाम दर्ज हो ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. लीज एरिया में लैण्ड यूज ई.आई.ए. में स्पष्ट करें ।

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
 3. खदान के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में कृषि कार्य देखा गया अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
 4. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पड़ेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
 5. एम सेंड प्लान्ट एवं कशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शाते हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
 6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
 7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
 8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
 9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
 10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
 11. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
 12. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
 13. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
 14. Tree inventory to be carried out.
- 5. Case No. P-2/528/24 Shri RAJESH SHUKLA, Owner, M/s Aditya Traders, C/o Ro-833, Krishnartri Bhawan, 1st Floor, Dubey Colony, Katni. Prior Environment Clearance for Quartzite in an area of 4.990 ha. (Quartzite – 99,612 m³/Year) (Khasra No. 517 and 519) Vill. Sukarass, Teshil – Khatagamv, Distt. Dewas**

प्रस्तावित Quartzite खदान बी-1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri RAJESH SHUKLA** ऑनलाईन एवं

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

उनके पर्यावरणीय सलाहकार Creative Enviro Services उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri RAJESH SHUKLA, Owner, M/s Aditya Traders, C/o Ro-833, Krishnartri Bhawan, 1st Floor, Dubey Colony, Katni
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	519 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 4.0 hectare.
स्थल	Vill. Sukarass, Teshil – Khategamv, Distt. Dewas
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 10757 दिनांक 23/9/22 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Quartzite – 417541 m ³ /Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Quartzite – 417541 m ³ /Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1470 दिनांक 19/7/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 36.02 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1470 दिनांक 19/7/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1470 दिनांक 19/7/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत समर्थ जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 09 दिनांक 24/6/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी की है अतः परियोजना प्रस्तावक ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित डीएसआर रिपोर्ट प्रस्तुत करे,

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

जिसमें इस खदान का नाम दर्ज हो ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. खदान के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में कृषि कार्य देखा गया अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पडेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पडेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. एम सेंड प्लान्ट एवं कशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शाते हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
11. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
12. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
13. Tree inventory to be carried out.

**746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024**

6. Case No. P-2/79/ 2024 Shri Kishore Kumar Khare, Partner, M/s KHARE STONE AND TILES, Khirhani Phatak, District Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Flage Stone Mine in an area of 2.85 ha. (2|349 cum per annum) (Khasra No. 1259) Village- Dang, Tehsil- Rithi, Dist- Katni (M.P.) TOR

प्रकरण आज सेक की 746वीं बैठक दिनांक 01/05/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

7. Case No. P-2/503/24 Shri Gayaprasad Anjne, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, 58, Phase-2, Jai Shakti Homes Narmada Wila ward no. 32, Umaria, Distt. – Umaria (M.P.) - 461331, Prior Environment Clearance for Chansura Sand Mine in an area of 1.30 ha. (23,400 cum per year) (Khasra No. 16), Village - Chansura, Tehsil - Manpur, District-Umaria (M.P.) B2 Cat.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Gaya Prasad Anjne, Authorized Signatory, M/s. MP State Mining Corporation Umaria , एवं श्री एन. एस. आरमो, सर्वेयर उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारी मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.). उपस्थित हुए ओर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Gayaprasad Anjne, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, 58, Phase-2, Jai Shakti Homes Narmada Wila ward no. 32, Umaria, Distt. – Umaria (M.P.) - 461331, Prior Environment Clearance for Chansura Sand Mine in an area of 1.30 ha. (23,400 cum per year) (Khasra No. 16), Village - Chansura, Tehsil - Manpur, District-Umaria (M.P). SIA/MP/MIN/435223/2023.	
परियोजना का खसरा नं. /एरिया	खसरा न0.- 61, एरिया – 1.30 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	Village – Chansura, Tehsil - Manpur, District – Umaria M.P.),	
परियोजना श्रेणी	बी-2 श्रेणी,	
Description of Project	CHANSURA SAND MINE, Khasra No. 61, Village – Chansura, Tehsil - Manpur, District - Umaria, State - Madhya Pradesh Area of 1.3 ha. Production 23400 cum/year	
सैद्धान्तिक सहमति	पत्र दिनांक 31/05/2023.	

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान <u>जरवाही नदी</u> में स्थित है।
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 23,400 घन मीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 23,400 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1650 दिनांक 21/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 खदान संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.004 हे०. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1650 दिनांक 21/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। ➤ कार्यालय क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया (म.प्र.) का पत्र क्र० .2873 उमरिया दिनांक 07/11/2023 अनुसार आवेदित क्षेत्र (उत्खनि पट्टा) बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व की बफर सीमा से दूरी 0.185 कि.मी. है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1650 दिनांक 21/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। ➤ खनिज निरीक्षक व सर्वेयर जिला उमरिया के प्रतिवेदन दिनांक 17/07/2023 अनुसार आवेदित क्षेत्र से तालाब 270 मी. ग्रामीण कच्चा रास्ता स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र से लगा हुआ है, पक्का रास्ता 100 मीटर की दूरी पर राज्यमार्ग क्र०. 10 की पक्की सड़क स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत चनसुरा जिला – उमरिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 05 दिनांक 15/08/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्त नहीं है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा होने के कारण गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है जिसका उल्लेख सरफेस मेंप में किया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि खदान क्षेत्र 340 मी. की दूरी पर एक रोड गई है जिसकी लम्बाई 44 मी. है इस संबंध में उनके द्वारा 500 मी. का क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज के अन्दर स्थानीय लोग क्यारी बनाकर सब्जी/फल उगाते हैं।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-77 के सरल

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

क्रमांक-15 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 23,400 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.73 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.73लाख प्रति वर्ष।
3. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
4. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
5. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prawn Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.65 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय बम्हनगवां के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी।	65,000

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1620 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

क्रमांक	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों का प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नजदीकी ग्राम में वितरण	इमली, अमला, नींबू, महुआ, बेल, आम और अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1560
		कुल पौधे	1560
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 5 साल तक पौधों का रख-रखाव किया जायेगा जिसमे से प्रथम तीन बर्ष (खनन अवधि के दौरान) स्वयं किया जायेगा एवं शेष दो बर्ष का रख रखाव सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख रखाव मौके पर स्थल उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण लम्बाई एवं चौड़ाई में नहीं होने कि स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाडी केंद्र/ तहसी कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा । ✓ वृक्षारोपण हेतु भूमि की उपलब्धता ना होने की स्थिति में शेष पौधों (फलदार पौधों) को ग्राम वासियों एवं अन्य शासकीय स्थलों जैसे आंगनबाड़ी, पुलिस स्टेशन, स्वास्थ्य केंद्र एवं तहसील कार्यालयों में वितरित किये जायेंगे। ✓ परिवहन मार्ग पर रोपण संभव न होने कि स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बांस पौधे, प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी । ✓ नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों (shurbs), लताओं को और घास आदि को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। ✓ खदान संचालन शुरू करने से पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे। ✓ नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी 			

**746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024**

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. Case No. P-2/515/24 Shri Gayaprasad Anjne, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, 58, Phase-2, Jai Shakti Homes Narmada Wila ward no. 32, Umaria, Distt. – Umaria (M.P.) - 461331, Prior Environment Clearance for Pitaur Sand Mine in an area of 3.50 ha. (63,000 cum per year) (Khasra No. 107), Village - Pitaur, Tehsil - Manpur, District-Umaria (M.P).

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Gaya Prasad Anjne, Authorized Signatory, M/s. MP State Mining Corporation Umaria , एवं श्री एन. एस. आरमो, सर्वेयर उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारी मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.). उपस्थित हुए ओर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Gayaprasad Anjne, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, 58, Phase-2, Jai Shakti Homes Narmada Wila ward no. 32, Umaria, Distt. – Umaria (M.P.) - 461331, Prior Environment Clearance for Pitaur Sand Mine in an area of 3.50 ha. (63,000 cum per year) (Khasra No. 107), Village - Pitaur, Tehsil - Manpur, District-Umaria (M.P). SIA/MP/MIN/ 432195 /2023.	
परियोजना का खसरा नं./ एरिया	खसरा न0.- 107, एरिया – 3.50 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	Village – Pitaur, Tehsil - Manpur, District – Umaria M.P.),	
परियोजना श्रेणी	बी-2 श्रेणी,	
Description of Project	PITOUR SAND QUARRY AREA OF 3.50 HA, KHASRA NO.- 107, PRODUCTION – 63,000 CUM/YEAR AT VILLAGE - PITOUR, TEHSIL- MANPUR, DISTRICT- UMARIA(M.P.)	
सैद्धान्तिक सहमति	पत्र दिनांक 31/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान <u>हलफल नदी</u> में स्थित है।	
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 63,000 घन मीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 63,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1648 दिनांक 21/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में	

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.50 हे०. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1648 दिनांक 21/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। <ul style="list-style-type: none"> ➤ आवेदित क्षेत्र (उत्खनि पट्टा) बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व की कोर सीमा से 0.680 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा आवेदित क्षेत्र (उत्खनि पट्टा) बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व की इको सेंसेटिव जोन सीमा के अंदर स्थित है। ➤ उपसंचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया के प्रतिवेदन क्रमांक/मा. चि./2872 उमरिया दिनांक 07/11/2023 अनुसार आवेदित क्षेत्र (उत्खनि पट्टा) बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व की बफर सीमा से 0.185 कि. मी. की दूरी पर स्थित है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1648 दिनांक 21/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। <ul style="list-style-type: none"> ➤ खनि निरीक्षक व सर्वेयर के प्रतिवेदन दिनांक 18/07/2023 अनुसार आवेदित क्षेत्र से मानव बसाहट-200 मी., शैक्षणिक संस्था – 450 मी., सार्वजनिक भवन 100 मी. की दूरी पर शिव मंदिर स्थित है। ➤ खनि निरीक्षक व सर्वेयर जिला उमरिया के प्रतिवेदन दिनांक 18/07/2023 अनुसार आवेदित क्षेत्र से ग्रामीण कच्चा रास्ता 90 मी. की दूरी पर पक्का रास्ता 100 मी. की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत सुखदास जिला – उमरिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक निरंक दिनांक 25/05/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नदी के जल क्षेत्र का बहाव निरंतर बना रहे इसके लिये नदी क्षेत्र में सेटबैक प्रस्तावित किया है एवं पूर्व क्षेत्र से एक नाला आकर नदी क्षेत्र में मिल रहा है अतः इसके लिए 50 मी. का भी सेटबैक प्रस्तावित किया है अतः परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र का 0.93 हे. क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना प्रस्तावित किया है एवं खनन कार्य 2.57 हे. में ही प्रस्तावित है जिसे सरफेस मेप में प्रस्तुत किया गया।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—76 के सरल क्रमांक—08 पर दर्ज है।
-----------	--

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 2642 दिनांक 25/04/2024 खदान क्षेत्र के अतिरिक्त कार्डिनेट (02) प्रस्तुत किये गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 63,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.10लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.47लाख प्रति वर्ष।
3. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
4. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
5. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
9. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prawn Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.65 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिटौर के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी।	1,65,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

क्रमांक	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों का प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
	नदी तट पर	खस स्लिप, नागरमोथा, कटंग बांस, जामुन, अर्जुन, पीपल, करंज और अन्य स्थानीय प्रजातियाँ पंक्ति से पंक्ति की दूरी : 2.5 mtr पौधे से पौधे की दूरी 3 mtrs	300
1	नजदीकी ग्राम में वितरण	इमली, अमला, नींबू, महुआ, बेल, आम और अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3900
		कुल पौधे	4200
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 5 साल तक पौधों का रख-रखाव किया जायेगा जिसमें से प्रथम तीन वर्ष (खनन अवधि के दौरान) स्वयं किया जायेगा एवं शेष दो वर्ष का रख रखाव सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख रखाव मौके पर स्थल उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण लम्बाई एवं चौड़ाई में नहीं होने कि स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाडी केंद्र/ तहसी कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा । ✓ वृक्षारोपण हेतु भूमि की उपलब्धता ना होने की स्थिति में शेष पौधों (फलदार पौधों) को ग्राम वासियों एवं अन्य शासकीय स्थलों जैसे आंगनबाड़ी, पुलिस स्टेशन, स्वास्थ्य केंद्र एवं तहसील कार्यालयों में वितरित किये जायेंगे। ✓ परिवहन मार्ग पर रोपण संभव न होने कि स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बांस पौधे, प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी । ✓ नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों (shurbs), लताओं को और घास आदि को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। ✓ खदान संचालन शुरू करने से पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये 			

**746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024**

जायेंगे।
✓ नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. Case No. P-2/502/24 Shri Gayaprasad Anjne, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, 58, Phase-2, Jai Shakti Homes Narmada Wila ward no. 32, Umaria, Distt. – Umaria (M.P.) - 461331, Prior Environment Clearance for Baturawah Sand Mine in an area of 1.704 ha. (30,672 cum per year) (Khasra No. 252), Village - Bhatrawah, Tehsil - Manpur, District- Umaria (M.P).

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Gaya Prasad Anjne, Authorized Signatory, M/s. MP State Mining Corporation Umaria , एवं श्री एन. एस. आरमो, सर्वेयर उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.). उपस्थित हुए ओर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Gayaprasad Anjne, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, 58, Phase-2, Jai Shakti Homes Narmada Wila ward no. 32, Umaria, Distt. – Umaria (M.P.) - 461331, Prior Environment Clearance for Baturawah Sand Mine in an area of 1.704 ha. (63,000 cum per year) (Khasra No. 252), Village - Bhatrawah, Tehsil - Manpur, District-Umaria (M.P). <u>SIA/MP/MIN/432188/2023.</u>	
परियोजना का खसरा नं./ एरिया	खसरा न0.- 252, एरिया – 1.704 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	Village – Bhatrawah, Tehsil - Manpur, District – Umaria M.P.),	
परियोजना श्रेणी	बी-2 श्रेणी,	
Description of Project	BATURAWAH SAND MINE, Area of 1.704 ha. khasra No. - 252, Production 30,672 cum/year at village Baturawah, Tehsil Manpur, District Umaria (MP)	
सैद्धांतिक सहमति	पत्र दिनांक 31/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान जरवाही नाला है।	

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 30,672 घन मीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 30,672 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 996 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 खदान संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.004 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 996 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। <ul style="list-style-type: none"> ➤ आवेदित क्षेत्र से 10 कि.मी. कर परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य के संबंध में लेख किया गया है, कि आवेदित क्षेत्र की कोर क्षेत्र की न्यूनतम दूरी 2.250 कि.मी. स्थित है। ➤ उपसंचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया के प्रतिवेदन क्रमांक/मा.चि./1895 उमरिया दिनांक 30/05/2018 अनुसार उपमण्डलाधिकारी पनपथा के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित क्षेत्र बफर क्षेत्र से दूरी 1.600 कि.मी. पर स्थित है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 996 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। <ul style="list-style-type: none"> ➤ खनि निरीक्षक व सर्वेयर के प्रतिवेदन दिनांक 17/07/2023 अनुसार मानव बसाहट-390 मी. एवं 250 की दूरी पर राज्य मार्ग क्र०.10 स्थित है। ➤ खनि निरीक्षक व सर्वेयर जिला उमरिया (म.प्र.) के प्रतिवेदन दिनांक 17/07/2023 अनुसार तालाब – 360 मी. ग्रामीण कच्चा रास्ता 415 मी.पक्का रास्ता 250 मीटर, नाला 40 मीटर की दूरी स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत भोलगढ़ जिला – उमरिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 13 दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्त नहीं है।

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

<p>प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)</p>	<p>नदी क्षेत्र का कुछ भाग पानी डूबा हुआ है एवं पूर्व दिशा में लगभग 321 मी. की दूरी पर 44 मी. लम्बा एक रोडब्रिज स्थित है तथा उत्तर दिशा में खदान क्षेत्र से 33 मी. की दूरी पर एक नाला आकर लीज क्षेत्र में मिल रहा है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोडब्रिज से लीज क्षेत्र में 500 मी. का क्षेत्र एवं नाला के कारण 50 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र का 1.18 हे. क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना प्रस्तावित किया है एवं खनन कार्य 0.524 हे. में ही प्रस्तावित है जिसे सरफेस मेप मे प्रस्तुत किया गया।</p>
<p>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति</p>	<p>परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-75 के सरल क्रमांक-05 पर दर्ज है।</p>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 30,672 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.70 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.71 लाख प्रति वर्ष।
3. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
4. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
5. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
11. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई **Prawn Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
12. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.85 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
-----------------------------------	---------------

**746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024**

अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय, बम्हनगवां के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	85,000
--	---------------

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों का प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी तट पर	खस स्लिप, नागरमोथा, कटंग बांस, जामुन, अर्जुन, पीपल, करंज और अन्य स्थानीय प्रजातियाँ पंक्ति से पंक्ति की दूरी : 2.5 mtr पौधे से पौधे की दूरी 3 mtrs	100
2	नजदीकी ग्राम में वितरण	इमली, अमला, नींबू, महुआ, बेल, आम और अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1900
		कुल पौधे	2000

- ✓ 5 साल तक पौधों का रख-रखाव किया जायेगा जिसमे से प्रथम तीन बर्ष (खनन अवधि के दौरान) स्वयं किया जायेगा एवं शेष दो बर्ष का रख रखाव सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख रखाव मौके पर स्थल उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण लम्बाई एवं चौड़ाई में नहीं होने कि स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/ तहसी कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा |
- ✓ वृक्षारोपण हेतु भूमि की उपलब्धता ना होने की स्थिति में शेष पौधों (फलदार पौधों) को ग्राम वासियों एवं अन्य शासकीय स्थलों जैसे आंगनबाड़ी, पुलिस स्टेशन, स्वास्थ्य केंद्र एवं तहसील

**746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024**

कार्यालयों में वितरित किये जायेंगे।
✓ परिवहन मार्ग पर रोपण संभव न होने कि स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बांस पौधे, प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
✓ नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों (shurbs), लताओं को और घास आदि को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
✓ खदान संचालन शुरू करने से पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
✓ नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No. P-2/501/24 Shri Gayaprasad Anjne, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, 58, Phase-2, Jai Shakti Homes Narmada Wila ward no. 32, Umaria, Distt. – Umaria (M.P.) - 461331, Prior Environment Clearance for Baherghata Sand Mine in an area of 1.424 ha. khasra No. 53, Production 25,632 cum/year at Village - Baherghata, Tehsil - Chandia, District- Umaria (M.P).

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Gaya Prasad Anjne, Authorized Signatory, M/s. MP State Mining Corporation Umaria , एवं श्री एन. एस. आरमो, सर्वेयर उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.). उपस्थित हुए ओर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व	Shri Gayaprasad Anjne, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, 58, Phase-2, Jai Shakti Homes Narmada Wila ward no. 32, Umaria, Distt. – Umaria (M.P.) -

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

पता	461331, Prior Environment Clearance for Baherghata Sand Mine in an area of 1.424 ha. khasra No. 53, Production 25,632 cum/year at Village - Baherghata, Tehsil - Chandia, District-Umaria (M.P). <u>SIA/MP/MIN/ 432167 /2023.</u>	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.- 53, एरिया - 1.424 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	Village – Bhatrawah, Tehsil - Chandia, District – Umaria M.P.),	
परियोजना श्रेणी	बी-2 श्रेणी,	
Description of Project	Baherghata Sand Mine, Area of 1.424 ha. khasra No. - 53, Production 25,632 cum/year at village Baturawah, Tehsil Manpur, District Umaria (M.P.).	
सैद्धान्तिक सहमति	पत्र दिनांक 31 / 05 / 2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान महानदी में स्थित है,	
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 25,632घन मीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 25,632 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1417 दिनांक 05 / 10 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित /स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 1.424 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. - 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1417 दिनांक 05 / 10 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।</p> <ol style="list-style-type: none"> कार्यालय वनमण्डलाधिकारी उमरिया के ऑनलाईन प्रतिवेदन दिनांक 06 / 03 / 2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 250 मी. से अधिक दूरी पर स्थित है। वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल उमरिया के पत्र क्रमांक 970 दिनांक 10 / 03 / 2023 के अनुसार आवेदित खसरा वन मण्डल उमरिया अंतर्गत वन परिक्षेत्र, चंदिया , बीट कौड़िया के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 37 कि वनसीमा से दूरी 362 मी. है। चूंकि उक्त खसरा उमरिया-कटनी जिला सीमा अंतर्गत होने के कारण जिला कटनी के वनभूमि के भी समीप होने की संभावना है। वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल कटनी के पत्र क्र0. 4437 दिनांक 20 / 07 / 2023 अनुसार उप वनमण्डलाधिकारी पश्चिम कटनी 	

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

	से प्राप्त प्रतिवेदन एवं म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 5-6/2010/10-3 दिनांक 14/03/2014 के अनुसार आवेदित क्षेत्र की चौहद्दी सीमा वनकक्ष क्र. O-639 के अंदर स्थित होने के कारण अनापत्ति नहीं दी जा रही है। लेख किया गया है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1417 दिनांक 05/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। ➤ खनि निरीक्षक व सर्वेयर जिला उमरिया के प्रतिवेदन दिनांक 17/07/2023 अनुसार आवेदित क्षेत्र से ग्रामीण कच्चा रास्ता 450 मी. की दूरी नाला 390 मीटर की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत चांदपुर जिला – उमरिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक निरंक दिनांक 03/10/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 1001 दिनांक 24/07/2023 के माध्यम से अनुरोध किया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन करने की कार्यवाही चल रही है। अतः पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन सिया/सेक में मान्य किया जायें। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

खनन क्षेत्र उमरिया जिले में आता है परन्तु लीज क्षेत्र की सीमा कटनी जिले की सीमा से भी लगती है। वन सीमा 250 मी. के अन्दर है अतः आयुक्त महोदय जबलपुर की अध्यक्षता वाली समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जावे, तत्पश्चात प्रकरण में विचार किया जावेगा।

11. Case No. P-2/529/24 MANJU SHARMA, Lessee, R/o- 16, Radhakrishan Colony Barwani, District- Barwani, M.P. Prior Environment Clearance for Stone, M-sand & Overburden in an area of 1.7 ha. (Stone 14000 m³/year & 14,000 m³/year & Overburden- 6,908 Cu.mt./Year) (Khasra No. 83) Vill. Jhigadi, Tehsil – Barwaha, Distt. Khargone (M.P.) TOR

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **MANJU SHARMA, Lessee, R/o- 16, Radhakrishan Colony Barwani, District- Barwani, M.P.** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	MANJU SHARMA, Lessee, R/o- 16, Radhakrishan Colony Barwani, District- Barwani, M.P
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	83 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.7 hectare. चारागाह
स्थल	Vill. Jhigadi, Tehsil – Barwaha, Distt. Khargone
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1375 दिनांक 06/10/2023 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone 14000 m ³ /year & M-sand 14,000 m ³ /year & Overburden- 6,908 Cu.mt./Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone 14000 m ³ /year & M-sand 14,000 m ³ /year & Overburden- 6,908 Cu.mt./Year है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1494 दिनांक 31/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.3 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1494 दिनांक 31/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1494 दिनांक 31/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

	नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झिगड़ी जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 69 दिनांक 14/4/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1944 दिनांक 29/01/24 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. खदान के समीप में यदि कृषि कार्य हो रहा हो तो अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पड़ेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. एम सेंड प्लान्ट एवं कशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शाते हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
11. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

12. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

12. Case No. P-2/484 VIKAS INFRATECH, Manav Surana, Managing Partner, R/o- Palwai, Tehsil- Mandsaur, District- Mandsaur, M.P. Prior Environment Clearance for Gitti and M-Sand in an area of 1.61 ha. (Gitti - 5,000 Cu.mt/year and M-Sand - 10,000 Cu.mt/year) (Khasra No. 158/6/2), Village- Palwai, Tehsil- Mandsaur, District- Mandsaur (M.P.) B-2

प्रस्तावित गिट्टी खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **VIKAS INFRATECH, Manav Surana, Managing Partner, R/o- Palwai, Tehsil- Mandsaur, District- Mandsaur, M.P.** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	VIKAS INFRATECH, Manav Surana, Managing Partner, R/o- Palwai, Tehsil- Mandsaur, District- Mandsaur, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	158/6/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.61 hectare.
स्थल	Village- Palwai, Tehsil- Mandsaur, District- Mandsaur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 2133 दिनांक 26/12/23 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Gitti - 5,000 Cu.mt/year and M-Sand - 10,000 Cu.mt/year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Gitti- 5,000 Cu.mt/year and M-Sand - 10,000 Cu.mt/year है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 79 दिनांक 19/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.61 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 79 दिनांक 19/01/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 79 दिनांक 19/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पलवई जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 27/9/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 79 दिनांक 19/01/24 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. खदान के समीप में यदि कृषि कार्य हो रहा हो तो अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पड़ेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. एम सेंड प्लान्ट एवं कशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शाते हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
11. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
12. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

13. Case No.P-2/84/2024 Shri Devendra Shivhare, Partner, M/s RAJAY MINERALS, House Number- 4-1, Indira Nagar, Kabrai, District- Mahoba, Uttar Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (2,00,000 cum per annum) (Khasra No. 589 (P)) Village- MAHOBA Tehsil- Gaurihar District Chhatarpur(M.P.) TOR

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Devendra Shivhare, Partner, M/s RAJAY MINERALS, House Number- 4-1, Indira Nagar, Kabrai, District- Mahoba, Uttar Pradesh.** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Devendra Shivhare, Partner, M/s RAJAY MINERALS, House Number- 4-1, Indira Nagar, Kabrai, District- Mahoba, Uttar Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	589 (P) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	ग्राम MAHOBA तसहील Gaurihar जिला Chhatarpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 5843 दिनांक 16/12/19 के द्वारा शेष अवधि हेतु अंतरित ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-2,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-2,00,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2854 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 24.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2854 दिनांक 13/10/23 अनुसार सार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2854 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की दूरी के अंदर मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्थान एवं जलीय निकाय स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महोवा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-10 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing - yes
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- आबादी लगभग 77 मी. पश्चिम दिशा- पक्का रोड लगभग 10 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक की अण्डरटेकिंग दिनांक 24/12/23 अनुसार जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि पूर्व दिशा में एक पक्की रोड एवं दक्षिण दिशा में आबादी है, अतः उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा। **समिति द्वारा नॉन ब्लास्टिंग करने पर उत्पादन क्षमता को देखते हुये मार्निंग अधिकारी से स्पष्ट अभिगत प्राप्त करने हेतु प्राप्त अभिमत को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. रॉक ब्रेकर पर आधारित संशोधित मार्निंग प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान के समीप में यदि कृषि कार्य हो रहा हो तो अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पड़ेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. एम सेंड प्लान्ट एवं कशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शाते हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
12. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
13. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

14. Case No. P-2/85/2024 Shri Devendra Shivhare, Partner, M/s RAJAY MINERALS, House Number- 4-1, Indira Nagar, Kabrai, District- Mahoba, Uttar Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (2,00,000 cum per annum) (Khasra No. 589 (P)) Village- MAHOBA Tehsil- Gaurihar District Chhatarpur (M.P.). TOR

प्रस्तावित Stone खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Devendra Shivhare, Partner, M/s

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

RAJAY MINERALS, House Number- 4-1, Indira Nagar, Kabrai, District- Mahoba, Uttar Pradesh. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Devendra Shivhare, Partner, M/s RAJAY MINERALS, House Number- 4-1, Indira Nagar, Kabrai, District- Mahoba, Uttar Pradesh.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	589 (P) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 4.00 hectare.
स्थल	ग्राम MAHOBA तसहील Gaurihar जिला Chhatarpur (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 5842 दिनांक 16/12/19 के द्वारा शेष अवधि हेतु अंतरित ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-2,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-2,00,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2854 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 24.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2854 दिनांक 13/10/23 अनुसार सार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2854 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की दूरी के अंदर मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्थान एवं जलीय निकाय स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महोवा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-10 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक की अण्डरटेकिंग दिनांक 24/12/23 अनुसार जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ईआईए रिपोर्ट के

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

	साथ प्रस्तुत करेंगे ।
--	-----------------------

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि पूर्व दिशा में एक पक्की रोड़ एवं दक्षिण दिशा में आबादी है, अतः उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा। **समिति द्वारा नॉन ब्लास्टिंग करने पर उत्पादन क्षमता को देखते हुये माईनिंग अधिकारी से स्पष्ट अभिगत प्राप्त करने हेतु प्राप्त अभिमत को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. रॉक ब्रेकर पर आधारित संशोधित माईनिंग प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान के समीप में यदि कृषि कार्य हो रहा हो तो अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पड़ेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. एम सेंड प्लान्ट एवं कशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शाते हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

11. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
12. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
13. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

15. Case No. P-2/88/2024 Shri NARAYAN RAGHUWANSHI, VILLAGE KHEDA, TEH. PITHAMPUR, DIST.-DHAR Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 1.10 ha. (Murrum 15000) (Khasra No. 223), Village- - Jamodi , Tehsil Pithampur, Distt Dhar (M.P.) B-2

प्रस्तावित मुरम खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri NARAYAN RAGHUWANSHI, VILLAGE KHEDA, TEH. PITHAMPUR, DIST.-DHAR** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri NARAYAN RAGHUWANSHI, VILLAGE KHEDA, TEH. PITHAMPUR, DIST.-DHAR	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	223 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.10 hectare.
स्थल	Gram - Jamodi , Tehsil Pithampur, Distt Dhar (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 2078 दिनांक 25/9/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरुम – 15000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मुरुम – 15000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 05 दिनांक 04/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 9.538 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 05 दिनांक 04/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 05 दिनांक 04/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर पालिका परिषद धार जिला धार के के पत्र क्रमांक 3039 दिनांक 14/06/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा में 40 मीटर पर पक्की रोड़ है तथा 60 मीटर पर हैबीटेशन है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा निर्धारित सेडबैक दिया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 05 दिनांक 04/01/2024 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 05 दिनांक 04/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानों के संबंध में बताया कि अन्य खदाने खनिज पत्थर/गिट्टी की स्वीकृत है, जबकि उनकी खदान मुरम की हैं अतः मुरम और गिट्टी नॉन होमोजीनियस श्रेणी की हैं, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरुम – 15000 घनमीटर/वर्ष

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.69 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.43 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम जामोदी के विद्यालय में अधोसंरचना विकास वित्तिय सहायता उपलब्ध की जाएगी ।	80, 000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1320 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 470 मीटर की लम्बाई पर 3 लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	350
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (70 मीटर) के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	70
3	नॉन माइनिंग जोन में लगाए जाने वाले पौधे	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	900

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. Case No. P-2/87/ 2024 Mrs. Sheetal Chouksey W/O SHRI Omprakash Chouksey, Add -Basali, Teh- Khaknar Distt- Burhanpur [M.P.] Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.40 ha. (Stone 10000 m3/Year) (Khasra

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

No. 76/5), Village- Jamuniya Raiyyat, Tehsil- Khaknar, District- Buhampur (M.P.)
B-2

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Mrs. Sheetal Chouksey** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **AGS Environmental Services Pvt. Ltd.** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Mrs. Sheetal Chouksey W/O SHRI Omprakash Chouksey, Add –Basali, Teh- Khaknar Distt- Burhanpur [M.P.]
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	No -76/5 (निजी –नॉन फॉरेस्ट लैंड 1.40 hectare. परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)
स्थल	Village- Jamuniya Raiyyat, Tehsil- Khaknar, District- Buhampur (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 941 दिनांक 26/9/23 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone 10000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone 10000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1111 दिनांक 22/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.3 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1111 दिनांक 22/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1111 दिनांक 22/11/23 अनुसार 0.60 किलोमीटर की दूरी पर आबादी है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जमुनिया जिला बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 12/7/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।

**746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024**

प्रस्ताविस्थतपर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीजमेंपूर्व से स्थितपेड़ोकाविवरण16(बैरियर जोन में) परियोजनाप्रस्ताव द्वाराबतायागयाकिबैरियरजोनकिसीमामेंलगभग 16 पेड़ लगेहुए हैजोकिकाटेनहींजावेंगे
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसारवर्तमानस्थिति प्रस्ताविस्थतपर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	<p>उत्तरदिशा—बरसातीनालालगभग 120 मी. दक्षिण—बरसाती नाला लगभग 210 मी.</p> <p>उत्तर पश्चिम दिशा—परियोजनाप्रस्तावक द्वाराबतायागयाकिजमीनकि रखवाली हेतु चौकीदार मजदूर के शेल्टर हेतु कच्चा शेड बना हुआ है</p> <p>पूर्वदिशा—कच्चारोडलगभग 25 मी.(Bपॉइंट से) परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि B पॉइंट किऔर क्रेशर प्रस्तावितहै तथा लेआउट मैप के अंदर दर्शाया भी गया है अतः रोड से 50 मी सेटबैक छोड़कर ही खनन किया जाना प्रस्तावित है</p> <p>लीजमेंपूर्व से स्थितपेड़ोकाविवरण16(बैरियर जोन में) परियोजनाप्रस्ताव द्वाराबतायागयाकिबैरियरजोनकिसीमामेंलगभग 16 पेड़ लगेहुए हैजोकिकाटेनहींजावेंगे</p>
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1111 दिनांक 22/11/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी ।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।</p>

परियोजनाप्रस्तावक द्वारादिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरणप्रबंधन योजना एवंअन्य प्रस्तुत की गईजानकारीसंतोषजनक एवंस्वीकार्य योग्य होने से समितिविशिष्ट शर्तों एवंस्टेण्डर्ड शर्तोंसंलग्नक-ए अनुसारनिम्नानुसारपूर्वपर्यावरणीय स्वीकृतिजारीकरने की अनुशंसाकरतीहै:-

1. अनुमोदित खनन योजनाअनुसारअधिकतम् उत्पादन क्षमता10,000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजनामदमेंकेपीटलराशि रु. 6.915लाख एवंरिक्विरिंगराशि रु. 2.89लाख प्रतिवर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00लाख तथासी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष मेंपूर्ण किये जाये :-

**746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024**

सी.ई.आर. मदमेंप्रस्तावितगतिविधियों	राशि (रु. में)
अधोसंचरचनाविकासहेतुउल्लेखितराशिपालकशिक्षासंघसरकारीप्राइमरीस्कूलजामुनियारैय्यत मेंजमा की जावेगी	1,00,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपणकार्यक्रमअनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्षतकमृतपौधोंकाबदलावतथा खननअवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1680वृक्षोंका वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणहेतुप्रस्तावितस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	संतरा, पपीता, आम, हाइब्रिडमूंगा, कटहल, आवलाआदि ।	500
2	परिवहनमार्गमें (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटरट्री-गार्ड के साथ)	संतरा, पपीता, आम, हाइब्रिडमूंगा, कटहल, आवलाआदि ।	50
3	ग्राम खकनार खुर्द की शासकीय शालामें एवंजामुनियारैय्यत एवं खकनार खुर्दमेंग्रामवासियोकोफलदारपौधेवितर. I हेतु	संतरा, पपीता, आम, हाइब्रिडमूंगा, कटहल, आवलाआदि ।	1180

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. Case No. P-2/86/ 2024 Shri SHAHJAD KHAN, Proprietor (Lease Owner), M/s M K Suppliers R/o- Ward N 9 In Front of Bank of India, Fozdar Bhawan Ke Pass, Balaganj, Hoshangabad, (M.P) Prior Environment Clearance for Murrum Mine in an area of 1.00 ha. (3,505 TPA cum per annum) (Khasra No. 93) Village- GONDI KHARAR Tehsil- Seoni-Malwa District Narmdapuram (M.P.). B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नया पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री शहजाद खान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri SHAHJAD KHAN, Proprietor (Lease Owner), M/s M K Suppliers R/o- Ward N 9 In Front of Bank of India, Fozdar Bhawan Ke Pass, Balaganj, Hoshangabad, District- Madhya Pradesh - 461001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	93 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village-Gondikharar, Tehsil-Dolaria, District -Narmdapuram, Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 1206-07 दिनांक 24/01/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	यह मुरम की खदान है इसलिए ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम-3,505 घनमीटर हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम-3,505 घनमीटर है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 385 दिनांक 16/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.95 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 385 दिनांक 16/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 385 दिनांक 16/05/23 अनुसार 220 मीटर की दूरी पर कच्चा रास्ता स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - लीज क्षेत्र में कोई पेड नहीं है ।	
	दक्षिण दिशा- बसाहट 487मी की दूरी पर स्थित है । पूर्व दिशा- कच्ची रोड 220मी. की दूरी पर स्थित है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के पत्र क्रमांक 1551 दिनांक 02/01/24 अनुसार उक्त खदान को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में	

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

	9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरम-3505 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.74 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.48 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूप्रवेश के तीन महीने के अंदर ग्राम पंचायत गोंडीखरार के माध्यम से रोगी कल्याण समिति के खाते में सहायता राशि जमा करा दी जाएगी ।	रु 60,000 /-
योग	60,000 /-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.सं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	करंज, पीपल, सेमल, बरगद, नीलगिरि, नीम, चिरौल स्थानीय प्रजातियाँ ।	460
2	शासकीय विद्यालय गोंडीखरार में	बेल, इमली, आवंला, कटहल, आम, अमरुद ।	40
3	शासकीय विद्यालय ग्राम गोंडीखरार में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, कुसुम, गुलमोहर ।	700

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No. P-2/90/2024 Shri RUDRE SINGH, Owner, Gram basahri Basahari, Sagar, Madhya Pradesh – 470118. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.00 ha. (6,002 cum per annum) (Khasra No. 2352) Village- Basahari, Tehsil- Khurai, District- Sagar(M.P.).

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri RUDRE SINGH, Owner, Gram basahri Basahari, Sagar, Madhya Pradesh – 470118** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री रुद्र प्रताप सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Rudra Pratap Singh S/o Shri Mehtab Singh R/o- Basahari, Tehsil- Khurai, District- Sagar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2352 (शासकीय-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village-Basahari, Tehsil - Khurai, District - Sagar (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1272 दिनांक 18/08/2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-6002 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6002 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1599 दिनांक 02/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 3.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1599 दिनांक 02/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र 20 मीटर की दूरी पर स्थित है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1599 दिनांक 02/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बसाहरी जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 21 दिनांक 14/04/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 94 के सरल क्रमांक- 208 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 6002 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 11.18 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.31 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बसाहरी के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	60,000/-
जैविक खाद के साथ श्रीअन्न, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण 6 माह में कृषि विज्ञान केंद्र में काराया जाएगा।	10,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	900
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	450
3	ग्रामवासियों में वितरण हेत	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2250

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No. P-2/506/24 Shri RAZAK, Owner, C/O Ibrahim khan, Mukam post Lohari, Teh- kasrawad, dist – khargone (M.P.) Prior Environment Clearance for Murrum in an area of 2.00 ha. (14001 Cubic Meter per Annum) (Khasra No. 135), Vill. Bavarcha, Tehsil- Kasrawad, Distt. Khargone (M.P.) B-2

प्रस्तावित मुरम खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri RAZAK, Owner, C/O Ibrahim khan, Mukam post Lohari, Teh- kasrawad, dist – khargone (M.P.)** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri RAZAK, Owner, C/O Ibrahim khan, Mukam post Lohari, Teh- kasrawad, dist - khargone	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	135 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village-Bavarcha, Tehsil- Kasrawad, District Khargone, State Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1773 दिनांक 20/12/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Murrum - 14001 Cubic Meter per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Murrum - 14001 Cubic Meter per Annum है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1948 दिनांक 29/01/24 अनुसार 500 मीटर	

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

	की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1948 दिनांक 29/01/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1948 दिनांक 29/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 200 मीटर पर हाईटेंशन लाईन एवं ग्रामीण मार्ग 10 मीटर की दूरी से अधिक है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कसरावद जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 272 दिनांक 17/8/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दक्षिण दिशा में कच्चा रोड है 50 मी. का सेडबैक प्रस्तावित किया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1946 दिनांक 29/01/24 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरम-14001 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.76 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.8 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.आर. मदद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
अधो संरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय जल ज्योति के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	रु 50,000/-
योग	50,000/-

**746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, चिरोल, करंज, एवं सीताफल हर 4 पेड़ के बीच में एक	1500
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मी.)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय ।	500
4	ग्राम बावरछा के ग्राम वासियों में पौधों का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, सीताफल एवं अमरुद	400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No. P-2/507/24 Shri PRAKASH PANWAR, Lessee, R/o- H.no.386, ward no. 07, Sendhwa Road Newali, tehsil- Newali, District-Barwani, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.00 ha. (15000 Cubic Meter per Annum) (Khasra No. 395/1/1), Village - Surana, Tehsil- Anjad, District- Badwani (M.P.)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri PRAKASH PANWAR, Lessee, R/o- H.no.386, ward no. 07, Sendhwa Road Newali, tehsil- Newali, District-Barwani, M.P.** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri PRAKASH PANWAR, Lessee, R/o- H.no.386, ward no. 07, Sendhwa Road Newali, tehsil- Newali, District-Barwani, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	395/1/1 (सरकारी -नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village - Surana, Tehsil- Anjad, District- Badwani (M.P.)	

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के पत्र क्रमांक 2674 दिनांक 15/12/2023 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone - 15000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone - 15000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2981 दिनांक 30/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2981 दिनांक 30/01/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2981 दिनांक 30/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नाला 50 मीटर की दूरी पर स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सुराना जिला बडवानी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 24/1/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2981 दिनांक 30/01/24 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी।

केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में 188 मीटर पर एक छोटी नहर परिलक्षित हो रही है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक ने बताया की 200 मीटर तक खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं मैप में 12 मीटर का सेटबैक प्रस्तावित है

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

	<p>पूर्व दिशा- पूर्व दिशा में 55 मीटर पर जल जमाव परिलक्षित हो रहा है जिसके बारे में प्रस्तावक ने ग्राम पंचायत द्वारा पत्र दिनांक 24.04.2024 प्रस्तुत किया गया जिसमें यह उल्लेख है कि यह गड्डा पूर्व में खोदे जाने का कारण निर्मित हुआ है एवं यह कोई तालाब, डैम अथवा शासकीय जल संरक्षण संरचना नहीं है, इसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जल संसाधन विभाग जिला बड़वानी से प्राप्त पत्र क्रमांक 831 दिनांक 30.04.2024 में भी यह उल्लेख किया गया की उत्खनिपट्टे के पास दिख रही यह संरचना जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित नहीं है।</p>
	<p>उत्खनिपट्टे के दक्षिणी भाग से छोटी नाली गुजरती हुई दिख रही है जिसके बारे में प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत के पत्र में यह उल्लेख किया गया कि स्वीकृत उत्खनिपट्टा एवं आस पास का क्षेत्र उबड़ खाबड़ है जिसके कारण नाली सामान संरचना दिखाई देती है जबकि यह वास्तविकता में उबड़ खाबड़ क्षेत्र होने के कारण पानी निकासी होती है परन्तु कोई नाला नहीं है पानी निकासी की द्रष्टि से इसके आस पास का क्षेत्र सेटबैक देते हुए लगभग 0.640 हेक्टेयर का क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है।</p>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन-15000 घनमीटर/वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रु. 13.15 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.71 लाख प्रति वर्ष ।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1500 पौधे

**746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024**

2	गैर खनन क्षेत्र के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:- बांस, जामुन, कहवा, कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, करंज, सीताफल, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	500 पौधे
3	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 300 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:-, कदम्ब करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा इत्यादि।	100 पौधे
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	1400 पौधे
5	ग्राम सुराना स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय मैदान में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि	100 पौधे
		कुल वृक्षारोपण	4780 पौधे

5. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
आयुष्मान आरोग्य मंदिर सुराना में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी।	90,000/-
योग	90,000/-

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. Case No. P-2/ 91/2024 B AGRAWAL STONE PRODUCTS, MIG -30, Nav Jeevan Vihar Post- Vindhya Nagar, Tehsil & District-Singrauli, M.P, 486885, Prior Environment Clearance for Makrohar Stone Quarry Stone quarry with a Production Capacity of 40,094 cubic meter per year Gitti having a lease area of 1.97 ha., at Khasra No. 1174, 1175, 1176, 1179, 1181, 1182, 1183 Village Makrohar, Teh Mada District Singrauli (M.P.)

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक B AGRAWAL STONE

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

PRODUCTS ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन. सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजना का पुनः आवेदन एस.ओ.पी. के तहत परिवेश-2 में प्रस्तुत किया गया है । जिसका प्रकरण क्रमांक पी-2/613/2024 है पर सुनवाई करने तथा प्रकरण क्रमांक पी-2/91/2024 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

22. Case No. P-2/483/2024 Shri Ashish Tiwari S/o Shri Balkrishan Tiwari, NIWASI NAVALPUR, TEHSIL SOHAGPUR, DISTRICT SHAHDOL, (M.P.)-461771. Prior Environment Clearance for “Dhangawan Stone (Gitti) Quarry Lease ” Khasra No.- 1728/1, an Area of 4.0 Ha. located Near Village- Dhangawan, Tehsil- Gohparu, District- Shahdol (M. P.) with Proposed Production Capacity – 25,137 Cum/Year.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Aashish Tiwari ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Mr. Umesh Sharma, M/s Vibrant Techno Lab Private Limited, Jaipur (Raj) उपस्थित हुए पर्यावरणीय सलाहकार के सिस्टम में ऑनलाईन तकनीकी खराबी आ जाने के कारण ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण नहीं किया जा सका । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

23. Case No. P-2/508/24 Shri OCHAVLAL SOMANI, Owner, 375, Pratapganj marg, District - Alirajpur M.P. Prior Environment Clearance for Dolomite in an area of 4.0 ha. (40000 TPA) (Khasra No. 65, 66, 68, 69), Village- Aambuaa, Tehsil- Alirajpur, Distt. Alirajpur (M.P.).

प्रकरण आज सेक की 746वीं बैठक दिनांक 01/05/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

24. Case No. P-2/95/2024 Shri Sanjay Sharma, Director, M/s. Octet Pharmachem Pvt. Ltd., A-11, Yasoda Residency, Ohadpur City Center- Gwalior, Gwalior (M.P.)-474011. Prior Environment Clearance for M/s. Octet Pharmachem Pvt. Ltd., Plot No. K-11, Industrial Area Near Sun Pharma Ltd., Malanpur, Dist.-Bhind (M.P.) -477117, Capacity - API/Bulk Drug & Intermediates – 360 TPA, Total Plot Area - 11300 sq m2, Cat. : 5(f)

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

The case was presented by PP Shri Sanjay Sharma, Director and their environmental consultant Mr. Umesh Mishra, M/s CSE, Bhopal. During presentation.

PP submitted following information on-line on Parivesh portal:

SN	Projects Details		Remarks
1.	Online Proposal No	Proposal No.: SIA/MP/IND3/459730/2024.	
2.	Proposal /Activity Name	Shri Sanjay Sharma, Director, M/s. Octet Pharmachem Pvt. Ltd., A-11, Yasoda Residency, Ohadpur City Center- Gwalior, Gwalior (M.P.)-474011.	
3.	Location of Project	Prior Environment Clearance for M/s. Octet Pharmachem Pvt. Ltd., Plot No. K-11, Industrial Area Near Sun Pharma Ltd., Malanpur, Dist.-Bhind (M.P.) - 477117, Capacity - API/Bulk Drug & Intermediates – 360 TPA , Total Plot Area - 11300 sq m ² , Cat. : 5(f) Synthetic organic chemicals Industry.	
4.	EC Status	Fresh ToR.	
5.	Description of Project	The concept of Medicare has experienced a subtle transformation in the last few years. Health has begun to be regarded as a vital input for efficiency. Thus, health and wellness have become essential for social-economic development as a whole. Considering this aspect SPPL has decided to establish new unit to produce and supply Bulk Drugs and drugs intermediates to international pharmaceutical companies for manufacturing of drug substances. Effective corporate governance will keep the company's policy decision and executive actions under stern scrutiny and observations	
6.	Proposed ToR	Submitted by PP.	
7.	Project Cost details.	700 Lakhs.	
8.	Declaration	No Construction Activity start at site PP letter dated 17/01/2024.	
9.	Industrial Area Notification details	Govt. of M.P. Industry Deptt. Datedv 17 January 2012.	
10.	Production Capacity	API/Bulk Drug & Intermediates – 360 TPA,	
Documentary Details			
11.	Water Supply NOC Status	PP Submit EEMIDC, Gwalior office letter No. 5664 dated 31/12/2021.	
12.	DFO NOC	PP NOC Apply Letter Submit vide Letter No.- Nil date 28 /12/2021.	
13.	MSME Registration Date details	03/11/2020.	
14.	PFR	Submitted.	
15.	Inter State Boundary details	NA	
16.	Env. Consultant	Shri Umesh Mishra, M/s Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.).	
17.	Any tree cutting proposed	No. .	

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional TOR and as per Annexure-D:

1. PP should provide entire product mix in the EIA report.
2. Worst case scenario study to be carried out with respect to Air, Water, Soil and Hazardous Wastes environment and the mitigation measures to be proposed accordingly.
3. Inventory of all the raw material with mass balance of each of the chemicals being used or proposed to be used.
4. Detailed plantation scheme essentially incorporating thick peripheral plantation to be furnished along with mapping of green areas on a lay-out map and details of existing plantation.
5. Inventory of all types of hazardous wastes expected from the industry with handling and management plan to be presented.
6. Carbon foot print analysis for existing production and proposed production shall be studied and discussed in EIA report.
7. Plan for prevention of waste water percolation into the ground water to be submitted along with the plan of handling in case of spillage of any chemicals.
8. Management, Handling and Disposal plan of fly-ash to be discussed in EIA report with documentary evidences of present disposal practices adopted for fly ash disposal.
9. Proposed safety measures for LABSA plant.
10. Details of solvents and their recovery plan should be discussed in the EIA report.
11. VOC should be monitored in the AAQ.
12. Latest MSDS data with compliance plan to be furnished for all the raw material / finished products with their storage plan.
13. Inventory of existing trees.
14. Detailed plant layout on A3 size map.
15. All process details with mass balance shall be discussed in the EIA report.
16. Land use pattern obtained from competent authority shall be discussed in EIA report.
17. Product-wise Water balance along with the overall water balance to be worked out & presented so as to achieve 'Zero liquid discharge' from the unit with complete details of waste water treatment scheme including scrubbing & reactor waste, Acid mist and domestic effluent.

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

18. It shall also be disused in the EIA report that in case of accidental discharge of effluent what will be the protective measures adopted by industry to avoid its confluence in Ganga Basin through Betwa River.
19. Provision for compatible storage of raw materials and finish products shall be studied and discussed in the EIA report.
20. PP shall explore the possibility for using clean fuel in proposed boiler. If same is not feasible, the explanation with justification shall be discussed in the EIA report.

25. Case No. P-2/96/2024 Shri Rajesh Pareek, Authorized Person, M/s JAGANNATH MINING PRIVATE LIMITED, M.I.G. 31, Puneet Nagar, Kanchanpur, Adhartal Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.73 ha. (Laterite & Ochre-95,665 TPA) (Khasra No. 105, 96/2, 100/2, 102/2, 94, 97/1, 97/2, 103/1, 103/4,) VILLAGE- BINEKA, TEHSIL- SIHORA, DIST- JABALPUR (M.P.) B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Rajesh Pareek** ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री **Shri Rajesh Pareek, Online** मेसर्स Ambiantal Global Private Limited, Ghaziabad (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Rajesh Pareek, Authorized Person, M/s JAGANNATH MINING PRIVATE LIMITED, M.I.G. 31, Puneet Nagar, Kanchanpur, Adhartal Jabalpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	105,96/2,100/2,102/2,94,97/1,97/2,103/1,103/4, (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड स्वयं की और अन्य भू-स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	3.73 hectare.
स्थल	VILLAGE- BINEKA, TEHSIL- SIHORA, DIST- JABALPUR (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 2900-01 दिनांक 13/03/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	No Blasting will required.	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा औसतन उत्पादन क्षमता Laterite & Ochre-95,665 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार औसतन उत्पादन क्षमता Laterite & Ochre-95,665 टीपीए है ।	
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र	

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

में अन्य खदानें	क्रमांक 1284 दिनांक 29/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1284 दिनांक 29/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1284 दिनांक 29/12/23 अनुसार आवेदित एक 105 से लगकर पक्की सड़क है, जिसकी आवेदित अन्य खसरों 100 से 150 मीटर की दूरी है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बेला जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-7 दिनांक 14/04/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 1471 दिनांक 30/01/24 अनुसार उक्त खदान को नवीन डीएसआर में सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम. एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. जय प्रकाश शुक्ला)
को-चेयरमेन

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 01 मई 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 01 मई 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 01 मई 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 01 मई 2024

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Movable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 01 मई 2024

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and casualty replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 01 मई 2024

5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मई 2024

- n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 01 मई 2024

40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 01 मई 2024

19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 01 मई 2024

- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।

746वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 01 मई 2024

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधों जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई च्त्तवदम उतममकपदह ब्दजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे